

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक 2/अवि./सेल-डी.पी.सी/2014/


भोपाल, दिनांक / / 2014

:: आदेश ::

संचालनालय स्तर पर दिनांक 13.11.2014 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरांत समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित नॉन मेडिकल सुपरवाइजर (कुष्ठ) को वरिष्ठ नॉन मेडिकल सुपरवाइजर (कुष्ठ) के पद पर वेतनमान रुपये 9300-34800 +ग्रेड पे 3600 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन अस्थाई तौर से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क.	कर्मचारी का नाम	वर्ग	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना स्थान
1	श्री एम.के.चौरे	अनारक्षित	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल
2	श्री राजकुमार त्रिवेदी	अनारक्षित	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर
3	श्री पी.के.सोनी	अनारक्षित	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर
4	श्री शरद कुमार जैन	अनारक्षित	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर
5	श्री जे.एन.महाजन	अनारक्षित	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल
6	श्री ओ.पी.नागर	अनारक्षित	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बड़वानी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार
7	श्री व्ही.पी.साहू	अनारक्षित	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाड़ा
8	श्री टी.आर.अहिरवार	अनारक्षित	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम
9	श्री गिरदलाल हिन्दोलिया	अनुसूचित जाति	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर


- पदोन्नत कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित है अथवा निलंबित है, तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को भेजे।
- पदोन्नति पद एवं स्थान पर आदेश प्राप्ति के उपरांत 15 दिवस की अवधि में पदोन्नत कर्मचारी को अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- संबंधित कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने/कर्तव्य पर उपस्थित होने की सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संचालनालय को 07 दिवस में आवश्यक रूप से भेजना होगा। अतिशेष की स्थिति में कर्मचारियों को कर्तव्य पर उपस्थित नहीं कराया जावे।



निरंतर.....2

4. पदोन्नत कर्मचारियों के समस्त मूल अभिलेखों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कराई जाने की पूर्णरूपेण जिम्मेदारी जहां उन्हें पदस्थ किया गया है के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी । सभी प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराया जाना आवश्यक होगा । यदि कर्मचारी संबंधित संवर्ग के अधीन न आता हो अथवा प्रमाणपत्र संदिग्ध लगता है तो उन्हें कर्तव्य पर उपस्थित न कराते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को विशेष डाक द्वारा भिजवाई जाना सुनिश्चित करें ।
5. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति)नियम 2002 के तहत निर्धारित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षण संबंधि निर्देशों का पालन किया गया है ।

“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित”



(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 2/अवि./सेल-डी.पी.सी/2014/907-X

भोपाल, दिनांक 19/12/2014

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य / अपर संचालक, प्रशासन स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश ।
3. अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति, स्थानीय कार्यालय ।
4. संयुक्त संचालक (कुष्ठ) स्थानीय कार्यालय ।
5. संयुक्त संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय ।
6. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल, इन्दौर, सागर, जबलपुर, उज्जैन संभाग मध्यप्रदेश ।
7. उप संचालक, कार्यालय स्थापना शाखा स्थानीय कार्यालय ।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल, सीहोर, खरगोन, बड़वानी, छतरपुर, सागर, धार, जबलपुर बैतूल, छिन्दवाड़ा, रतलाम, मध्यप्रदेश ।
9. जिला कुष्ठ अधिकारी भोपाल, सीहोर, खरगोन, बड़वानी, छतरपुर, सागर, धार, जबलपुर बैतूल, छिन्दवाड़ा, रतलाम, मध्यप्रदेश ।
10. संबंधित कर्मचारी, की और उपरोक्तानुसार पालनार्थ ।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश